



राजस्थान सरकार  
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग  
हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@mic.in, दूरभाष 0141-2372237


क्रमांक :- एफ 19/सा.प्र./रा.आ./१७

दिनांक 04.02.2022

आदेश

निर्देशानुसार, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अधिक्रमण (Supersession) में आदेशित किया जाता है कि दिनांक 07.02.2022 से राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैंच- बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर तथा कार्यरत समस्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति एवं वी.सी. (Video Conferencing) दोनों के माध्यम (Hybrid mode) से नियमानुसार सुनवाई की जावेगी।

यदि कोई अधिवक्तागण/पक्षकारगण अपने से संबंधित लंबित प्रकरण की वी.सी. के माध्यम से सुनवाई करना चाहते हैं तो प्रकरण में नियत तारीख पेशी से पूर्व इसकी सूचना कार्यालय को देंगे। वर्चुअल सुनवाई से संबंधित दिशा-निर्देश पूर्व से ही राज्य आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।


  
(अनीश दाधीच)  
रजिस्ट्रार

क्रमांक:- एफ 19/सा.प्र./रा.आ./१८-108

दिनांक:- 04.02.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय सदस्यगण, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच बीकानेर/ उदयपुर/जोधपुर एवं कोटा। (जरिये ई-मेल से)
5. उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
6. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, (समस्त) राजस्थान। (जरिये ई-मेल से)
7. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एसोसियेशन, (समस्त) राजस्थान द्वारा अध्यक्ष संबंधित जिला आयोग, राजस्थान।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वी.सी. के माध्यम से सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. कॉजलिस्ट शाखा, राज्य आयोग।
11. नोटिस बोर्ड, राज्य आयोग।

  
(रजिस्ट्रार)